राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में

सुनीता भवेल

पी एच. डी. शोधार्थी (समाजशास्त्र)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, इन्दौर।

सारांश :– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का उददे्श्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उनकी गरीबी दूर करना है। इस बात को ध्यान रखते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत की थी। ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरिके से पहुँच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।

कुंजी शब्द :– आजीविका मिशन, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, अनुसूचित जनजाति, स्व–सहायता समूह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आशय :– इसमे गरीब परिवारों को उपयोगी स्व–रोजगार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है निर्धनता कम करना और मजबूत बुनियादी सरंचनाओं के माध्यम से गरीबों की जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाना हैं। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन किया गया। राज्यवार इस मिशन का संचालन सम्पूण देश में किया जा रहा हैं। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने के लिए निर्धन परिवारो में विशेषकर महिलाओं के स्व–सहायता समूह ग्राम संगठन गठित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस बात पर में विश्वास रखता है कि गरीबी की सहज क्षमताओं का सदुपयोग हो और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो, जिसके लिए उनकी सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकीकरण से जुड़े।

गाँव की सामाजिक व्यवस्था पर गौर करे तो पाते हैं कि किसी भी कार्य में मद्द लेने और देने की परम्परा सदियों से चली आ रही है, जैसे "सामुदायिकता की भावना" जनजातिय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है और यह इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं के से भी जुड़ी हुई है। परन्तु आज के पैसा बाजार प्रतियोगितापूर्ण युग में इसका फैलाव, विकास की प्रक्रिया में सुसंगठित होकर नहीं किया गया। इसके बावजूद सामुदायिकता गरीब व सामाजिक तौर से पिछड़े वर्गो में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उत्पत्ति :– 1999 के बाद से अच्छी तरह से अधिक एक दशक के लिए लागू की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम, पुनर्गठित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2010–11 के बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। आय सृजन परिसंपत्तियों के माध्यम से ग्रामीण बीपीएल परिवारों को स्थायी आय प्रदान करने के उद्देश्य एसजीएसवाई/आर्थिक गतिविधियों के रूप में इतनी गरीबी से बाहर उन्हें लाने के लिए।

इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों के असमान भौगोलिक प्रसार, स्वयं सहायता समूहों और पर्याप्त बैंकिंग क्षेत्र प्रतिक्रिया की कमी के सदस्यों के बीच उच्च संघर्षण दर, कार्यक्रम प्रदर्शन बाधा थी। इसके अलावा, कई राज्यों उचित वितरण प्रणाली और ग्रामीण गरीबों के बीच में कौशल प्रशिक्षण और इमारत संसाधन अवशोषण क्षमता के लिए समर्पित

प्रयासों की कमी का संकेत है, पूरी तरह से एसजीएसवाई के तहत प्राप्त धन का निवेश करने में सक्षम नहीं थे। लागू करने संरचनाओं की क्षमता और कार्यक्रम की आवश्यकताओं के बीच एक काफी बेमेल हुई थी। एसएचजी महासंघों के रूप में सामूहिक संस्थाओं की अनुपस्थिति उत्पादकता वृद्धि, विपणन लिंकेज और जोखिम प्रबंधन के लिए उच्च आदेश का समर्थन सेवाओं तक पहुँचने से गरीब रोका।

यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय), भारत सरकार (भारत सरकार) इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए (प्रो राधाकृष्ण की अध्यक्षता में) एसजीएसवाई के तहत ऋण से संबंधित मुद्दों पर एक समिति गठित की है कि इस संदर्भ में है। समिति की चार परस्पर संबंधित कार्यों को शामिल किया है, ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए एक 'आजीविका दृष्टिकोण' की गोद लेने की सिफारिश की है :–

1. कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों में सभी गरीब परिवारों को जुटाने
2. बैंक ऋण और अन्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं के लिए उनके उपयोग को बढ़ाने;
3. लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के विकास के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल का निर्माण।
4. इष्टतम परिणामों के साथ गरीबों को सामाजिक और आर्थिक समर्थन सेवाओं के कुशल प्रसव के लिए विभिन्न योजनाओं के अभिसारी।

सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और गरीबी कम करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने और गति प्रदान करने और 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में एसजीएसवाई पुनर्गठन किया। एनआरएलएम के लिए कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क 9 दिसंबर, 2010 को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और मिशन औपचारिक रूप से 3 जून 2011 को शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :– राज्यों के गरीबी के अनुपात के आधार पर उन्हें राशि आवंटित की जाएगी और उन्हें इसी सीमा में योजनाएं संचालित करनी होगी, ताकि आवंटित राशि का अधिक से अधिक लाभ मिले। "ग्रामीण गरीब परिवारों की परिसिथति को ध्यान में रखते हुए उनकी सशक्त एवं स्थाई संस्थाएं बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं हुनरमद मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में समर्थ बनाना है जिससे उनकी गरीबी कम हो। जिसके नतीजतन उनकी जीवनशैली में लगातार उल्लेखनीय सुधार हो।"

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मूल्य :– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी गतिविधियों को संचालित करने वाले महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य निम्न प्रकार हैं:

1. समाज के अत्यंत गरीब लोगों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भूमिका।
2. सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की पारदर्शिता तथा जवाबदेही।
3. योजना, उसके क्रियान्वयन और निगरानी के सभी स्तरों पर गरीब लोगों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व और उनकी अहम भूमिका।समुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

सामाजिक समावेश और सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता :– सामाजिक समावेश और सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटताः आजीविका– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यह सुनिशिचत करेगा कि राज्य सभी की सहभागिता की पद्धति अपनाएं जहां प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य, विशेषकर महिला को समयबद्ध तरीके से स्वसहायता समूह (एसएचजी) के तहत लाया गया है। मिशन कामकाजी रूप से प्रभावी और स्व–प्रबंधन वाले संस्थानों में सभी निर्धारित बीपीएल परिवारों के सामाजिक समावेश तथा एकजुटता के लिए विशेष रणनीति अपनएगा, जिसमें खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अक्षम, भूमिहीन, प्रवासी मजदूरों, अलग थलग पड़े समुदायों तथा अशांत क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों जैसे संवेदनशील वर्गों को शामिल करने पर विशेष जोर होगा। सहभागिता के साथ संवेदनशीलता का आकलन

करने वाली और गरीबी का स्तर पता लगाने वाली पद्धति के जरिए बीपीएल परिवारों में सबसे गरीब तथा सबसे कमजोर लोगों की पहचान की जाएगी। निर्धारित परिवारों से महिला और पुरुषों दोनों को आजीविका के मुददों पर ध्यान देने के लिहाज से गरीब लोगों से जुड. संगठनों :किसान संगठन, उत्पादक सहकारी संस्थाएं: से जोड.ा जाएगा। इन लोगों को समुदाय के कुशल व्यकितयों (सीआरपी) के समर्थन वाले उच्चस्तरीय संस्थानों में भेजा जाएगा जो समावेश तथा एकजुटता की प्रक्रिया सुनिशिचत करेगा।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :– जनजातीय महिलाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संचालित कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र :– झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के इन्दौर संभाग के अर्न्तगत दक्षिणी–पश्चिमी भाग में स्थित है जिसको अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया।

अध्ययन का समग्र :– मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभार्थी सदस्य अनुसूचित जनजाति की समस्त महिलाओं को प्रस्तुत अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन की इकाई :– मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभार्थी सदस्य अनुसूचित जनजाति की चयनित महिला उत्तरदाता को प्रस्तुत अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया।

निदर्शन विधि :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु स्तरीकृत निदर्शन विधि का उपयोग कर उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जो कि निम्न प्रकार है :–

तालिका क्रमांक 1

झाबुआ जिले में उत्तरदाताओं का चयन

जिला झाबुआ (उद्देश्यपूर्ण विधि)					
चयनित तहसील (जनसंख्या विधि)					
थांदला	**पेटलावाद**	**मेघनगर**	**झाबुआ**	**रानापुर**	**कुल गांव**
112	240	110	256	95	813
चयनित गांव (निदर्शन संख्या तालिका Random Number Table)					
6	6	6	6	6	30
चयनित उत्तरदाता (कोटा पद्धति एवं उद्देश्यपूर्ण विधि)					
60	60	60	60	60	300

जिले का चयन :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ को उद्देश्यपूर्ण विधि के आधार पर चयनित किया गया।

तहसील का चयन :– अध्ययन क्षेत्र झाबुआ जिले की समस्त तहसीलों जिनमें थादला, पेटलावाद, मेघनगर, झाबुआ एवं पटलावाद को जनसंख्या विधि के आधार पर चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

गांवों का चयन :– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु झाबुआ जिले की पाँच तहसीलों में से **(प्रत्येक तहसील से 6 गांव)** कुल 30 गांवों को दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। प्रस्तुत गांवों का चयन दैव निदर्शन संख्या तालिका (Random Number Table) का उपयोग कर की गयी।

उत्तरदाताओं का चयन :– अध्ययन में चयनित प्रत्येक गांव से 10 स्व–सहायता समूह की जनजाति महिला उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग कर कुल 300 स्व–सहायता समूह की जनजाति महिला उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

तथ्यों का संकलन :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

प्राथमिक संमक :– प्राथमिक आंकडों का संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समुह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उददेश्यों के अनुरुप प्रश्नों का समावेश किया गया।

द्वितीयक संमक :– द्वितीयक तथ्यों का संकलन जनजातियों से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन, शोध पत्र–पत्रिकाएँ, शासकीय प्रतिवेदन, जनगणना प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकीय विभाग, पंचायत कार्यालय, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, जिला गजेटियर, समाचार–पत्र, इंटरनेट, एवं विभिन्न पुस्तकालयों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन आदि के आधार पर किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण :– साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। संग्रहित तथ्यों को अलग–अलग नम्बर (कोड) दिये गये, इन कोड के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा एस. पी. एस. एस. (SPSS) पैकेज का प्रयोग करते हुऐ तथ्यों का सारणीयन एवं सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक 2

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिए कार्यक्रम संचालित होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	291	97.0
2	नहीं	9	3.0
	कुल योग	300	100.0

उपर्युक्त तालिका में दिये आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 97 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जबकि 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिए कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को जानकारी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और ये लोग संचालित कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर अपने आर्थिक स्तर में सुधार कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं।

तालिका क्रमांक 3

यदि हाँ तो कार्यक्रम का नाम

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कौशल विकास कार्यक्रम	72	24.74
2	महिला जारुकता कार्यक्रम	105	36.10
3	महिला सशक्तिकरण	45	15.46
4	मुख्यमत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम	29	9.96
5	स्व–सहायता समूह से कर्ज	40	13.74
	कुल योग	291	100.0

कुल 300 उत्तरदाताओं में से 291 उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कुल 291 उत्तरदाताओं में से 24.74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जबकि 36.10 प्रतिशत उत्तरदाताताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला जारुकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे

हैं। 15.46 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गए जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं वहीं 9.96 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा मुख्यमत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है एवं 13.74 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व–सहायता समूह से कर्ज जैसा कार्यक्रम संचालितत किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 4

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोतों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	टी.वी./रेडियो	18	6.0
2	रिश्तेदार	14	4.7
3	सरकारी कार्यालय	28	9.3
4	समाचार पत्र	10	3.3
5	ग्राम संगठन के माध्यम से	40	13.4
6	समूह से जुड़ी महिलाओं से	190	63.3
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 63.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को समूह से जुड़ी महिलाओं से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त हुई जबकि सबसे कम 3.3 प्रतिशत उत्तरदातओं को समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त हुई। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि उनको टी. वी. के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त हुई वहीं 4.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया कि उनको रिश्तेदारों के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे उत्तरदाता जिनको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी सरकारी कार्यालय से प्राप्त हुई 9.3 प्रतिशत पाए गए जबकि 13.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको ग्राम संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त हुई।

तालिका क्रमांक 5

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना	220	73.3
2	एन.आर. एल. एम.	24	8.0
3	आर. एस. ई. ट्रेनिंग	48	16.0
4	शौर्य दल	8	2.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 73.3 प्रतिशत

उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है वहीं सबसे कम 2.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शौर्य ददल का निर्माण किया है। 8 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाए गऐ जिन्होंने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एन.आर. एल. एम. कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है वहीं 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बतया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर. एस. ई. ट्रेनिंग प्रदान की जाती है।

अतः स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक स्तर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे जिसका पूर्ण लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है और साथ ही ग्रामीण महिलाएँ सशक्त भी हो रही है।

तालिका क्रमांक 6

स्व–सहायता समूह के द्वारा रोजगार/प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	269	89.7
2	नहीं	31	10.3
	कुल योग	300	100.0

स्व–सहायता समूह के द्वारा रोजगार/प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान के के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 89.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि स्व–सहायता समूह के द्वारा रोजगार/प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है वहीं 10.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा बताया गया कि उनको स्व–सहायता समूह के द्वारा रोजगार/प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। अतः स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को स्व–सहायता समूह के द्वारा रोजगार/प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे वे स्वयं के लिए और परिवार के लिए आय अर्जित कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करती है जिसका सीधा प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

तालिका क्रमांक 7

महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संचालित कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन	31	10.3
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	101	33.7
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	144	48.0
4	स्वरोजगार प्रशिक्षण	9	3.0
5	कौशल विकास उन्नयन	15	5.0
	कुल योग	300	100.0

उपर्युक्त तालिका में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संचालित कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है जबकि सबसे कम 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए स्वरोजगार

प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है। 10.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन प्रदान कीी जाती है वहीं 33.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का संचालन किया जा रहा है। 5 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाए गए जिन्होंने बताया कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कौशल विकास उन्नयन का संचालन किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 8

रोजगार के लिए प्रथक अनुदान राशि प्रदान करने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	246	82.0
2	नहीं	54	18.0
	कुल योग	300	100.0

उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरददताओं में से सर्वाधिक 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको रोजगार के लिए प्रथक अनुदान राशि प्रदान की जानी चाहिए जबकि 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको रोजगार के लिए प्रथक अनुदान राशि प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

तालिका क्रमांक 9

यदि हाँ तो राशि का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1000 रू	54	21.9
2	5000 रू	14	5.7
3	10000 रू	29	11.8
4	15000 रू	68	27.7
5	20000 रू	74	30.1
6	आवश्यकता अनुसार	7	2.8
	कुल योग	246	100.0

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 21.9 उत्तरदाताओं को 1000 रूपये की राशि रोजगार के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जबकि 5.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 5000 रूपये की राशि रोजगार के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। 11.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 10,000 रूपये की राशि रोजगार के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई वहीं 27.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 15,000 रूपये की राशि रोजगार के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। 30.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 20,000 रूपये की राशि रोजगार के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। 2.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको आवश्यकतानुसार राशि रोजगार के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई।

तालिका क्रमांक 10

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम सफल होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	महिलाएँ जागरुक हो रही हैं	56	18.7
2	रोजगार एवं प्रशिक्षण से लाभ हो रहा है	96	32.0
3	स्वयं का रोजगार आरम्भ कर रहे हैं	79	26.3
4	स्वरोजगार अपना रहे हैं	69	23.0
	कुल योग	300	100.0

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम सफल होने का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 18.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के कारण महिलाएँ जागरुक हो रही हैं जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के कारण रोजगार एवं प्रशिक्षण से लाभ हो रहा है। 26.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के कारण अध्ययन क्षेत्र में लोग स्वयं का रोजगार आरम्भ कर रहे हैं वहीं 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के कारण अध्ययन क्षेत्र में लोग स्वरोजगार अपना रहे हैं।

तालिका क्रमांक 11

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निरन्तर संचालन एवं सुधार हेतु सुझाव

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गरीबी दूर होने तक	144	48.0
2	प्रशिक्षण देना चाहिए	7	2.3
3	रोजगार की अति आवश्यकता है	96	32.0
4	स्वयं का रोजगार आरम्भ करने के लिए प्रशिक्षण	13	4.3
5	योजना से गरीबी दूर हो रही है	15	5.0
6	रोजगार से आर्थिक स्थिति में सुधार	25	8.3
	कुल योग	300	100.0

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निरन्तर संचालन एवं सुधार हेतु सुझाव उपर्युक्त तालिका में दिए गए हैं। तालिका में दिये आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गरीबी दूर होने तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निरन्तर संचालन किया जाना चाहिए वहीं 2.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निरन्तर संचालन प्रशिक्षण देने तक किया जाना चाहिए। 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि रोजगार की अति आवश्यकता है इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निरन्तर संचालन किया जाना चाहिए जबकि 4.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि स्वयं का रोजगार आरम्भ करने के लिए प्रशिक्षण दयि कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए। 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि योजना से गरीबी दूर हो रही है इसलिए इसका संचालन नियमित होना चाहिए वहीं 8.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि रोजगार से आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है इसलिए योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाना चाहिए।

तालिका क्रमांक 12

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आत्मनिर्भर एवं सशक्त होने तक प्रशिक्षण देना चाहिए	24	8.0
2	बच्चों की शिक्षा से आर्थिक स्थिति में सुधार	30	10.0
3	बेहतर रोजगार प्राप्त करना	35	11.7
4	बचत राशि प्राप्त करना	32	10.7
5	महिलाओं के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराना	133	44.3
6	अनेक योजनाओं का संचालन	46	15.3
	कुल योग	**300**	**100.0**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं जिसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 44.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए जबकि सबसे कम 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त होने तक प्रशिक्षण देना चाहिए। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि बच्चों की शिक्षा से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है इसलिए उनको शिक्षा देने की अति आवश्यकता है वहीं 11.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बेहतर रोजगार प्राप्त करना चाहिए। 10.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको बचत राशि प्राप्त करना चाहिए वहीं 15.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि अनेक योजनाओं का संचालन के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. Hurtman and Susan (1983) A Self-Help Group of Women in abusive relationships, Journal of Rural Development, Vol. I 9 (I)

2. Karmarkar K.G. (1999) Rural Credit and Self-Help Groups Micro Finance Need and Concept in India Thousand Oaka Calif and London: Sage Publication, New Delhi.

3. Kashanana Gopal (1998) SHGS and Social Defence Social Welfare, Vol. 44 (10).

4. Sahay Susama (1998) Wowan Empowerment Approaches and Strategries Social Welfare.

5. Young P.V. (1975) Scientific Social Survegs and Research Prentic Hall of India private Limited, New Delhi.

6. Yunus Mohammad (1983) On reaching the poor in I.P. Getubig M. Yaukub Johari and Angela M. Kuga Jhas (Ed) overcoming poverty through credit published by ADDC, Malasia.

7. चौरसीया बी. पी. (1990) शिड्यूल कास्ट एण्ड शिड्यूल ट्राईब इन इंडिया, क्रो पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

8. दमेले मंजरी एवं कावड़िया गणेश (2003) शिक्षा तथा सत्ता में भागीदारी द्वारा महिला सशक्तिकरण, बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक शोध पत्रिका।

9. गुप्ता कमला (2001) ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम स्वशक्ति परियोजना, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक शोध पत्रिका, महू।

10. मौर्य राजेश (2000) स्व–सहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, महू।

11. शर्मा प्रेमनारायण, संजीव कुमार, वाणी, विनायक सुषमा, (2006) ''महिला सशक्तिकरण एवं विनायक समग्र विकास'' भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।